

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्ताक्ष, १९८७ वा गियर १२९)

आदेश पत्रक - ता०..... रो..... ताक
जिला....., सं०....., राज् १९.....
केस का प्रकार.....

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर नी गई
नारंगाई ने शरे में
ठिकानी,
तारीख-राहित

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख ,	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

व्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद संख्या- १३२/२०२१

मंजूला देवी.....पुनरीक्षणकर्ता

-बनाम-

राज्य.....रेसपॉर्टेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आँगनबाड़ी पुनरीक्षण वाद मंजूला देवी, पति-सुधीर राम, सा०+पंचायत-महेशुआ, वार्ड नं०-११, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल के द्वारा व्यायालय समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं०-१०/२०१९ मंजूला देवी बनाम जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सुपौल एवं अन्य में दिनांक १९.१०.२०१९ को पारित आदेश के पुनरीक्षण हेतु लाया गया है।

दिनांक ०१.०८.२०२३ को सुनवाई के क्रम में वाद को आदेश पर लिया गया। जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा उपरोक्त अपीलवाद में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद विभागीय मार्गदर्शिका पत्रांक ९९० दिनांक ०५.०४.२०१६ के आलोक में सेविका चयन मार्गदर्शिका पत्रांक १३ दिनांक ०५.०४.२०१६ की संबंधित है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका, २०१६ की कंडिका-१३ में स्पष्ट वर्णित है कि “जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध ३० दिनों के अन्दर जिला पदाधिकारी के व्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी जो कि स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता सुनवाई के लिए प्राधिकृत होंगे तथा जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता के द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।” बाल विकास सेवाएँ (ICDS), निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) के पत्रांक-१७८० दिनांक ०५.०३.२०२० से सेविका/सहायिका चयन से संबंधित परिवारों के त्वरित निष्पादन हेतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए निदेश दिया गया है कि “जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे तथा उनके चयन से

संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।” उक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस व्यायालय के स्तर पर पोषणीय नहीं पाते हुए खारिज किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। निम्न व्यायालय से प्राप्त अभिलेख वापस किया जाय तथा इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

Gaur
3/8/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

Gaur
3/8/23

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक २०२३-५, विधि

सहरसा, दिनांक १०-८-२०२३

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुनरो वाद सं-०-१३२/२०२१ में दिनांक-०७.०८.२०२३ को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय आँगनबाड़ी अपील वाद सं-०-१०/२०१९ से संबंधित अभिलेख (आदेश फलक-०४ पन्ना एवं अन्य कागजात-९२ पन्ना कुल-९६ पन्ना) मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती मंजूला देवी, पति-सुधीर राम / श्रीमती पार्वती कुमारी, पति-राजदेव राम दोनों सा०+वंचायत-महेशुआ, वार्ड नं-०-११, थाना-त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर, समाहरणालय, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।